230/1

दूरभाष 2206709
2206710
नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,उ.प्र.

पत्रांक : 1737/05/76/एक/2015-16

दिनांक : 28 जुलाई 2015

सेवा में,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद-देवरिया।

विषय : वित्तीय वर्ष 2015-16 में सूडा द्वारा आपके जनपद (डूडा) को अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में स्वीकृत परियोजनाओं की धनराशि का प्रेषण।

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु (अनुदान संख्या-37/83) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त कर दी गई है:-

धनराशि का प्रेषण (लाख रू0 में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
एच0डी0एफ0सी0 बैंक	50100029657434	IFSC Code HDFC0000947	209.804

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	द्वितीय किश्त की धनराशि का प्रेषण
1	देवरिया	मलिन बस्ती-83 बजट	न0पं0 रूद्रपुर	वार्ड नं0 03 के मल्लाह टोली वार्ड में श्री रामप्रीत के घर से जहाउल्लाह के घर होते हुए मस्जिद तक, 03 मल्लाह टोली वार्ड में अहमद के घर से श्री मूरत के घर तक, 03 आजाद नगर वार्ड में इकबाल के घर से करीमन के घर तक, 03 आजाद नगर वार्ड में शफीक के घर से जुम्मन के घर तक एवं वार्ड नं0-04 मस्जिद वार्ड में फल मंडी में बैंक तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य।	13.605
2	देवरिया	मलिन बस्ती-83 बजट	न0पं0 रूद्रपुर	न0पं0 रूद्रपुर, वार्ड नं0-06 लालाटोली वार्ड में पप्पु तिवारी के मकान से समशद्दीन के मकान तक, रामसहारे के मकान से सी0सी0 रोड तक, विजी के घर से पिच सड़क तक, राम भरत सिंह के मकान से रामरामनाथ के मकान तक एवं श्री शिवचन्द्र के मकान से उल्लाउद्दीन के घर तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य।	7.655
3	देवरिया	मलिन बस्ती-83 बजट	न0पं0 रूद्रपुर	न0पं0 रूद्रपुर, वार्ड नं0-06 लालाटोली वार्ड में श्री रामफेर पाण्डेय के मकान से इण्टरलाकिंग रोड तक, शिव शर्मा के मकान से सुनील जयासवाल के मकान तक, सुभाष पटेल के मकान से सुभाष गुप्ता के मकान तक एवं केशव स्कूल से रामआश्रम के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड नाली निर्माण कार्य।	10.541
4	देवरिया	मलिन बस्ती-83 बजट	न0पं0 लार	वार्ड सं0-02 पिपरा वार्ड में रामजानकी मार्ग से रामअवध पाण्डेय के घर के सामने से नन्हकू बाबा के स्थान होते हुए पुलिया तक एवं रामअवध के घर से पकड़ी मार्ग तक इण्टरलाकिंग रोड नाली निर्माण कार्य।	10.921
5	देवरिया	मलिन बस्ती-83 बजट	न0पं0 लार	वार्ड सं0-02 पिपरा वार्ड में पिंडी रोड से राम अवध पाण्डेय के घर तक एवं मेन रोड से पकड़ी गांव तक इण्टरलाकिंग रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	10.370
6	देवरिया	मलिन बस्ती-83 बजट	न0पं0 लार	वार्ड सं0- 05 धारी वार्ड में झुलन सिंह के मुर्गी फार्म से कुसुम सिंह के घर होते हुए ओ0के0एम0 इण्टर कालेज के बाउण्ड्री तक इण्टरलाकिंग रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	13.036

2.30/2

दूरभाष— 2286709
2286710
नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,उ.प्र.

क्र0 सं0	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	द्वितीय किश्त की धनराशि का प्रेषण
7	देवरिया	मलिन बस्ती–83 बजट	न0पं0 लार	वार्ड सं0– 05 धारी वार्ड में मने बाई पास रोड से महबूब आलम के आरा मशीन से पाठक जी के मकान तक एवं राम जानकी से रामबहादुर सिंह घर से राम नगीना के घर होते हुए लारी साहब के पिच तक इण्टरलाकिंग रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	8.000
8	देवरिया	मलिन बस्ती–83 बजट	न0पं0 लार	वार्ड नं0–06 गयागीर वार्ड में मन वार्ड पास से टेंगरी मास्टर के घर तक तथा टेंगरी मास्टर क घर से जू0 हाई स्कूल होते बाबूराम यादव के घर तक इण्टरलाकिंग रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	13.036
9	देवरिया	मलिन बस्ती–83 बजट	न0पं0 लार	वार्ड नं0–08 गयागीर (बगनवली बारी) में भारिख यादव के घर से रामबहादुर राजभर के घर होते हुए मेन खड़ण्जा तक इण्टरलाकिंग रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	11.513
10	देवरिया	मलिन बस्ती–83 बजट	न0पं0 लार	वार्ड नं0–08 गयागीर में राम जानकी मार्ग से ओम प्रकाश यादव के घर से जवनरायन यादव के घर होते हुए टेंगरी मास्टर के घर जाने वाली सड़क तक इण्टरलाकिंग रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	13.096
11	देवरिया	मलिन बस्ती–83 बजट	न0पं0 लार	वार्ड नं0–03 धवरिया वार्ड में मठ डिग्री कालेज रोड से धवरिया टोला तक इण्टरलाकिंग रोड नाली निर्माण कार्य।	13.036
12	देवरिया	मलिन बस्ती–83 बजट	न0पं0 लार	वार्ड नं0–03 के धवरिया वार्ड में रामनरेश के मकान से बुद्धराम के मकान तक, रामबड़ाई मकान से छेदी के घोठा होते हुए हरी चौहान के मकान तक, पिच रोड से पूजन पाल के मकान होते हुये जय पाल के मकान तक एवं वार्ड नं0–04 के बौली वार्ड में राम जानकी मार्ग से अशोक सिंह के मकान होते हुए कोहरा शर्मा टोला तक इण्टरलाकिंग रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	13.555
13	देवरिया	मलिन बस्ती–83 बजट	न0पं0 लार	वार्ड नं0–01 के हरिजन बस्ती वार्ड में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के उत्तरीय द्वार दक्षिणी मुख्य द्वार तक, अनरजीत के मकान से किशोर के घर होते हुए राम आधार के घर तक एवं इन्द्रजीत के घर से ईश्वर के घर होते हुए रामआधार के घर तक इण्टरलाकिंग रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	7.484
14	देवरिया	मलिन बस्ती–83 बजट	न0पं0 लार	वार्ड नं0–10 के तिवारी टोला वार्ड में मने बाई पास रोड से खुदैजा बीबी मकदूम डिग्री कालेज होते हुए भोला राजभर के घर तक, वार्ड नं0–07 के कोइरी टोला वार्ड में देव नाथ कुशवाहा के आटा चक्की मशीन से आफताब के घर तक, वार्ड नं0–08 के मठ वार्ड में सूर्य नाथ के मकान से मुनीर खाँ के मकान तक एवं मेन बाजार राधेश्याम जयासवाल के मकान से समीम कुरैशी के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	11.321
15	देवरिया	मलिन बस्ती–83 बजट	न0पं0 लार	वार्ड नं0–10 के इन्द्रिरा नगर में भाटपार रानी रोड से मुन्ना वर्मा के मकान होते हुए सोहन मिस्त्री के मकान तक, बलुआ गौरी बाई पास रोड से हरीहर यादव एवं गुड्डू यादव के घर होते हुए प्राइमरी विघालय तक एवं गुड्डू यादव के घर के बगल से कांशीराम आवास तक एवं सुदैजा डिग्री कालेज के बगल से कब्रहाह तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य।	12.776
16	देवरिया	मलिन बस्ती–83 बजट	नपा0प0 देवरिया	वार्ड नं0 13, भुजौली में एम0 जी0 इण्टर कालेज से आरती यादव के घर तक, सुरेन्द्र कुशवाहा के मकान से प्रेम कुशवाहा के मकान तक एवं गुलाब यादव की दुकान से नथुनी यादव के घर होते हुये रानू सिंह के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य।	13.043

(230/3)

दूरभाष 2286709
2286710
नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,उ.प्र.

क्र0 सं0	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	द्वितीय किश्त की धनराशि का प्रेषण
17	देवरिया	मलिन बस्ती–83 बजट	नपा0प0 देवरिया	वार्ड नं0 01 अम्बेडकर नगर में अक्षयवर मिश्रा के मकान से विश्वनाथ शर्मा के मकान तक एवं वार्ड नं0 08 मुन्शी गोरख का टोला वार्ड मे राम बरन के मकान से ए0 पी0 नौशाद के मकान होते हुये आफताब शेख के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	4.434
18	देवरिया	मलिन बस्ती–83 बजट	न0पं0 मझौली	वार्ड नं0 03 मे रफीक मास्टर के घर के पास से विक्रमा मिश्र के घर तक, वार्ड नं0 02 मे सीता राम खटिक के घर से गोला घाट तक एवं वार्ड नं0 01 मे भोला यादव के घोठा से एनुल मिया के घोठा तक इण्टरलाकिंग रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	9.574
19	देवरिया	मलिन बस्ती–83 बजट	न0पं0 सलेमपुर	वार्ड सं0 05 के भटवा धर्मपुर वार्ड मे मुखलाल के मकान से शिव शंकर के मकान तक, मस्जिद से लेकर हरिफ अन्सारी के घर तक, वार्ड सं0 06 सलाहाबाद वार्ड मे सरीफ के घर से बंका प्रधान के घर तक, डा0 बाल चन्द्र कुशवाहा के मशीन से गिरिजेश मद्धेशिया के मकान तक, गोपाल यादव के घर से रवीन्द्र यादव के घर तक, वार्ड नं0 11 इचौना पूर्वी वार्ड में जयप्रकाश मिश्रा के मकान से रामजी ठठेरा के मकान तक एवं वार्ड नं0 01 भटौली वार्ड में राजेन्द्र प्रसाद के मकान से लाली ठाकुर के मकान तक एवं बगीचें तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	12.808
	योग				209.804

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी0सी0 रोड़ अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:–

1– उ0प्र0 सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी0सी0 रोड़ अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत डी0पी0आर0/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।

2– स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।

3– प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्य प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।

4– अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नही की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरूपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

5– स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।

6 प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।

7– परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख–रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।

8– योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2015–16 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नही प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।

9 उक्त धनराशि सूडा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।

230/4

दूरभाष 2280709
2280710
नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,उ.प्र.

10– प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्त्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

11– अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के कम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिरित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।

12– शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि एवं द्वितीय किश्त में 20 प्रतिशत की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित निर्धारित प्रपत्र पर सूचना अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे रोकी गयी धनराशि को अवमुक्त किया जा सके।

भवदीय,

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि :निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. अधि0 अभियन्ता–सूडा
3. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग–सूडा।

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक